कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री कृष्णा ट्रेडर्स, नवीन गल्ला मण्डी, ललितपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**042 / 13, 09.09.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री श्री कृष्णा ट्रेडर्स, नवीन गल्ला मण्डी, ललितपुर द्वारा दिनांक 09.09.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘‘ पैकिंग मैटेरियल की खरीद पर अदा किये गये कर की आई0 टी0 सी0 के लाभ की देयता के सम्बन्ध में ’’ स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 17.04.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉंसी द्वारा पत्र संख्या-1543, दिनांक 30.09.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि किसी वस्तु की ट्रेडिंग में प्रयुक्त पैकिंग मैटेरियल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिये जाने का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉं, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉं, तो उसकी दर क्या है-

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट

से सम्बन्धित प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अत: प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाॅसी जोन, झाँसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

ह0 / 23.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।